जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 611 दिनांक : 20-6-2002

आदेश

विषय– कृषक द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि बेचने पर क्रेता को विक्रेता की वरीयता पर कनेक्शन देने के संबंध में।

पूर्व विद्युत मण्डल के कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के बिन्दू संख्या 9(अ) के द्वारा भूमि के बेचान पर विक्रेता की वरीयता पर क्रेता को कृषि कनेक्शन देना निषेध है ।

इस सम्बन्ध में कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्वेश्य से समन्वय समिति की बैठक दिनांक 3/6/2002 में विचार विमर्श कर उक्त आदेश में संशोधन के निर्णयानुसार अब यह प्रावधान किया जाता है कि आवेदक कृषक द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि बेचने पर व राजस्व अभिलेख में नामान्तरण हो जाने पर क्रेता को विक्रेता की वरीयता पर कृषि कनेक्शन जारी कर दिया जाये। बिन्दू संख्या 9(अ) के उल्लेखित अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(एच०एस०देवड़ा)
उप–मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।